न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1234–एक/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–99 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 527/76–77/अपील.

1– प्रेमनारायण
2– लक्ष्मीनारायण
3– सत्यनारायण
4– रमेश पुत्रगण रामरतन
निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामचरण मृत वारिसान
(1) इन्दरबाई विधवा रामचरण
निवासी ग्राम पोलायकलां
टप्पा अवन्तीपुर बडोदिया
(2) घीसीबाई पत्नी आनंदीलाल पुत्री रामचरण
निवासी ग्राम खारसूर
टप्पा अवन्तीपुर बडोदिया
परगना शुजालपुर जिला शाजापुर
(3) उमराव
(4) गोरेलाल
(5) दुर्गाप्रसाद
निवासीगण ग्राम पोलायकलां
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर
(6) रम्माबाई बेवा हीरा खाती (मृत) वारिसान
(ए) इन्दरबाई विधवा रामचरण
(बी) घीसाबाई पत्नी आनंदीलाल
(सी) उमराव
(डी) गोरेलाल
(ई) दुर्गाप्रसाद
निवासी ग्राम पोलायकलां
टप्पा अवन्तीपुर बडोदिया .....अनावेदकगण

श्री के0डी0दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हीरालाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेरखेड़ी स्थित भूमि भोल्या पिता बाला बलाई ने उसे विक्रय की है, अतः उसका विक्रय वैधीकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विक्रय वैधीकरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर पुनः विक्रय वैधीकरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–4–1974 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सर्वे कमांक 195/3 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के विक्रय वैधीकरण निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–6–99 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिन पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश का विधिवत पालन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत

किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पूर्व आदेश को आधार मानकर ही आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हीरा लाल द्वारा विक्रय की गई भूमि के वैधीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत उभय पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विक्रय वैधीकरण का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा भी अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर सर्वे क्रमांक 195/3 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का विक्रय वैधीकरण निरस्त कर अनुविभगीय अधिकारी का शेष आदेश यथावत रखा गया है, क्योंकि रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा को छोड़कर शेष भूमि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व क्रय की गई है, और उसका लगातार कब्जा चला आ रहा है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–99 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर